समाचार पत्रिका

अक्टूबर 2026

जस्टिस इन माइनिंग नेट्वर्क (JiMN)

दक्षिण एशिया

संदेश

साथियो,

जोहार!

पिछले महीने, देश भर में आदिवासी अधिकारों, खनन, विस्थापन, पर्यावरण विनाश और लोकतांत्रिक प्रतिरोध से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे गए हैं। ये घटनाक्रम हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर संघर्ष केवल संसाधनों का नही बल्कि लोगों के अधिकारों, गरिमा और आत्मनिर्णय के लिए एक संघर्ष है। ओडिशा में, गिरफ्तारी, धमकी और पुलिस दमन के बावजूद आदिवासी समुदाय नियामगिरी और सिजिमाली में खनन परियोजनाओं का विरोध करना जारी किए हुए हैं। डॉ. रान्डेल सिक्वेरा और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मण नाइक की गिरफ्तारी ने लोकतांत्रिक असहमति के अपराधीकरण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस बीच, जेएसडब्ल्यू परियोजना के लिए भूमि परिवर्तन प्रक्रिया में वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन के खिलाफ ढिंकिया ग्रामीणों का संघर्ष ग्राम सभा प्राधिकरण और सामुदायिक वन अधिकारों के निरंतर महत्व को उजागर करता है।

प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026, विशेष रूप से धारा 9डी ने झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और संवैधानिक शक्तियों के बारे में भी चिंता जताई है। बहस केवल कराधान या निवेश के बारे में नहीं है; यह संघवाद और राज्यों के अपने प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने के अधिकारों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में, एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ चार दिवसीय जल सत्याग्रह के बाद आदिवासी महिला विमला कोल की मृत्यु प्रतिरोध की मानवीय कीमत को दर्शाती है। बिहार के पीरपैंती में किसान प्रस्तावित अडानी ताप विद्युत परियोजना के कारण आम के बागों, कृषि भूमि और आजीविका के नुकसान पर चिंता जता रहे हैं। ये संघर्ष एक ऐसे विकास मॉडल के विरोधाभासों को उजागर करते हैं जो पारिस्थितिक विनाश, विस्थापन और सामुदायिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए कॉर्पोरेट निवेश को प्राथमिकता देता है।

इस समाचार पत्र के माध्यम से, हम प्रकृति और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाले आंदोलनों के बीच एकजुटता को मजबूत करना चाहते हैं। विकास का अर्थ विस्थापन नहीं हो सकता। आइए हम जल, जंगल, जमीन और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हों।

एकजुटता के साथ,
बुधन सिंह सिंकू,
पी. एम. टोनी

नियामगिरी के लिए वेदांत की धमकी एक बड़ी योजना का हिस्सा है।

30 अक्टूबर, 2026 को द वायर में प्रकाशित फेलिक्स पैडेल और मालविका गुप्ता का लेख, ओडिशा की नियामगिरि पहाड़ियों में खनन के नए खतरे की जांच करता है और इसे एक व्यापक कॉर्पोरेट-संचालित निष्कर्षणवादी एजेंडे के भीतर स्थापित करता है। वेदांता का 1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के वादों के साथ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट समर्थित समुदाय के विरोध के बावजूद बॉक्साइट भंडार तक पहुंच को सुरक्षित करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक नियामगिरी, सिजिमाली और अन्य पवित्र पहाड़ों में खनन का विरोध करने वाले आदिवासी और दलित कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, धमकी और दमन पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि ओडिशा के बढ़ते एल्यूमीनियम, दुर्लभ-पृथ्वी और रक्षा उद्योग तेजी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और सैन्य उत्पादन से जुड़े हुए हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्र संसाधन सीमाओं में बदल गए हैं। लेख प्रमुख विकास कथा को चुनौती देता है, स्वदेशी आजीविका, पारिस्थितिक प्रणालियों और सांस्कृतिक पहचान के लिए इसके परिणामों को उजागर करता है। यह सामुदायिक सहमति, स्वदेशी आत्मनिर्णय और निगमित नेतृत्व वाले निष्कर्षणवाद के प्रतिरोध का आह्वान करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://m.thewire.in/article/rights/vedantas-threat-to-niyamgiri-is-part-of-alarger-plan-selling-odishaas-resources-to-feed-gglobal-wars/amp

रिलायंस की आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना-अनंत अंबानी

कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में 1 ट्रिलियन रुपये के निवेश की योजना की घोषणा की है। प्रस्तावित निवेश से तीन लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने और आने वाले दशकों में राज्य के राजस्व में लगभग 60,000 करोड़ रुपये का योगदान होने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को अक्षय ईंधन में परिवर्तित करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। रिलायंस रायलसीमा क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश कर रहा है और उन्नत विनिर्माण में अवसरों की तलाश कर रहा है। यह घोषणा कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े कॉर्पोरेट समूहों की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालती है, जो भूमि की आवश्यकताओं, संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय प्रभावों और ग्रामीण समुदायों पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सवाल उठाती है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://www.business-standard.com/companies/news/reliance-plans-1-trillion-investment-in-andra-pradesh-says-anant-ambani-1261002

के. एस. पी. सी. बी. ने वेदांता की जंतकल लौह अयस्क परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई की समय-सारणी बनाई

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) ने कर्नाटक में वेदांता लिमिटेड की प्रस्तावित 10 करोड़ रुपये की जंतकल लौह अयस्क खनन परियोजना के संबंध में 16 अक्टूबर को एक पर्यावरणीय सार्वजनिक सुनवाई निर्धारित की है। वेदांत को जुलाई 2025 में 71.16 हेक्टेयर लौह अयस्क ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया था। पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में सार्वजनिक सुनवाई एक महत्वपूर्ण चरण है, जो स्थानीय निवासियों और अन्य हितधारकों को चिंताओं को उठाने और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। प्रस्तावित खनन परियोजना पर्यावरण क्षरण, भूमि उपयोग, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय आजीविका पर संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रभावित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सार्थक सार्वजनिक परामर्श आवश्यक है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://www.decanherald.com/india/karnata/kspcb-sets-oct-16-public-hearing-for-vedantas-rs-10-cr-jantakal-iron-ore-project-4168714

नियामगिरी में पुलिसिंग खनन का मार्ग प्रशस्त कर रही है

रंजना पाधी के लेख में इस बात की जांच की गई है कि कैसे ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के खिलाफ प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए पुलिस दमन और आदिवासी नेताओं के अपराधीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 10 सितंबर को डोंगरिया कंधा के नेता लाडा सिकाका की गिरफ्तारी और अपनी भूमि और जंगलों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ बार-बार यूएपीए और अन्य आपराधिक आरोपों के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया है। 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद, जिसमें सभी 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता की प्रस्तावित खनन परियोजना को खारिज कर दिया था, सुरक्षा अभियान, पुलिस शिविर, निगरानी और गिरफ्तारी तेज हो गई है। लेख में तर्क दिया गया है कि ये उपाय संवैधानिक सुरक्षा, सामुदायिक स्वशासन और लोकतांत्रिक असहमति को कम करते हुए खनिज समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों में कॉर्पोरेट पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में राज्य शक्ति और कॉर्पोरेट हितों के बीच बढ़ती सांठगांठ को उजागर करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://thewire.in/rights/at-niyamgiri-policing-is-paving-the-way-for-mineing

अंतिम टन तकः भारत में कोयले का इतिहास-साम्राज्य से जलवायु संकट तक

मैथ्यू शट्ज़र की पुस्तक टिल द लास्ट टन भारत की जीवाश्म-ईंधन अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक विकास की जांच करती है, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से वर्तमान जलवायु संकट तक इसकी उत्पत्ति का पता लगाया गया है। यह इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे पूर्वी भारत के कोयला समृद्ध वन, विशेष रूप से छोटानागपुर क्षेत्र, औपनिवेशिक निवेश और निष्कर्षण के प्रमुख केंद्र बन गए। इस पुस्तक में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भूमिगत खनिज स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले औपनिवेशिक कानूनों ने पारंपरिक भूमि संबंधों को बदल दिया, प्राकृतिक संसाधनों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण की सुविधा प्रदान की और आदिवासी समुदायों को बेदखल करने में योगदान दिया। यह आगे इस बात की जांच करता है कि कैसे स्वतंत्र भारत को औद्योगीकरण और ऊर्जा विकास के नाम पर इन निष्कर्षण संरचनाओं को विरासत में मिला और जारी रखा। पूँजीवाद, उपनिवेशवाद, भूमि अलगाव और पारिस्थितिक विनाश को जोड़कर, शट्ज़र जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता की ऐतिहासिक जड़ों और संसाधन संप्रभुता और खनन-प्रेरित विस्थापन पर निरंतर संघर्षों को उजागर करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://frontline.thehindu.com/books/until-the-last-ton-matthew-shutzer-india-coal-history-review/article71533272.ece

खनन संशोधन पर राज्य क्यों विभाजित हैं?

यह लेख खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रति भारतीय राज्यों की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं की जांच करता है, जो खनिज अधिकारों और खनिज भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। इस संशोधन ने राजकोषीय संघवाद, संवैधानिक अधिकार और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर बहस छेड़ दी है। जबकि केंद्र का तर्क है कि समान कराधान खनन उद्योगों पर वित्तीय बोझ को कम करेगा और निवेश को प्रोत्साहित करेगा, राज्यों को पर्याप्त राजस्व नुकसान का डर है, विशेष रूप से पहले लगाए गए लेकिन गैर-वसूली बकाया को रद्द करने के कारण। झारखंड ने लोक कल्याण योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, जबकि केरल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश कानूनी चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं। ओडिशा की प्रतिक्रिया विभाजित बनी हुई है। यह विवाद प्राकृतिक संसाधन प्रशासन और खनिज संपदा के वितरण को लेकर केंद्र-राज्य के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://www.thehindu.com/news/national/why-are-states-divided-over-the-mining-amendment/article71547351.ece/amp/

यूसीआईएल का दावा, झारखंड में कैंसर और त्वचा रोग 'पिछड़ेपन' के कारण हैं, यूरेनियम खनन के कारण नहीं

लेख में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कचम आनंद राव की उन आरोपों को खारिज करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की गई है कि झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में यूरेनियम खनन कैंसर, त्वचा रोगों और जन्मजात अक्षमताओं का कारण बनता है। उन्होंने इन बीमारियों के लिए स्थानीय परिस्थितियों और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराया, यह दावा करते हुए कि कम से कम दस वैज्ञानिक अध्ययनों में खनन और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। यू. सी. आई. एल. झारखंड में सात यूरेनियम खदानों का संचालन करती है और एक नए स्वास्थ्य-प्रभाव मूल्यांकन की योजना की घोषणा की है। हालांकि, स्थानीय समुदायों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने विकिरण जोखिम, दूषित खनन अपशिष्ट और गंभीर स्वास्थ्य परिणामों के बारे में लंबे समय से चिंता जताई है। जादुगुडा पर 2025 के एक अध्ययन में निवासियों के बीच श्वसन संबंधी बीमारियों, कैंसर, प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं और जन्मजात अक्षमताओं का दस्तावेजीकरण किया गया। यह विवाद कॉरपोरेट जवाबदेही, स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच, पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण के अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://www.telegraphindia.com/amp/india/cancer-skin-disease-due-to-backwardness- not-mines-in-jharand-claims-uranium-corporation-of-india/cid/2183373

मध्य प्रदेश में दबाव में वन अधिकार अधिनियम

लेख मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों की मान्यता के लिए संघर्ष की जांच करता है। यह राज्य वन विभाग द्वारा सामुदायिक वन अधिकारों के दावों को प्राप्त करने और संसाधित करने में ग्राम सभाओं के वैधानिक प्राधिकरण में हस्तक्षेप करने के प्रयासों पर चिंताओं को उजागर करता है। एक विवादास्पद विभागीय निर्देश में वन अधिकारियों को दावे एकत्र करने में शामिल करने की मांग की गई, जिससे एफआरए के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में सवाल उठाए गए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, नागरिक समाज संगठनों और कार्यकर्ताओं की आपत्तियों के बाद, निर्देश को रोक दिया गया था। यह लेख वन प्रशासन और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण में ग्राम सभाओं की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। यह पैतृक वनों पर आदिवासी अधिकारों को मान्यता देने के लिए जारी नौकरशाही प्रतिरोध को भी उजागर करता है, जो स्व-शासन, लोकतांत्रिक भागीदारी और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण के लिए व्यापक संघर्ष को उजागर करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://frontline.thehindu.com/en Environment/forest-rights-act-mp-cfr-rights/article71546199.ece/amp/

FCRA संशोधन विधेयक 2026: क्या सामाजिक क्षेत्र अधिकार-आधारित कार्य के लिए एक नरम लक्ष्य है?

डॉ. दीपक कुमार नंदा ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की आलोचनात्मक जांच करते हुए सवाल किया कि क्या विदेशी वित्त पोषण पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का उद्देश्य वित्तीय योगदान को विनियमित करना है या अधिकार-आधारित नागरिक समाज के काम को प्रतिबंधित करना है। लेख में उन गैर सरकारी संगठनों से संबंधित संपत्तियों का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त एक नामित प्राधिकरण के प्रस्तावित निर्माण पर प्रकाश डाला गया है, जिनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, आत्मसमर्पण कर दिया गया है या नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसका तर्क है कि ये प्रावधान गृह मंत्रालय को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करते हैं और प्रशासनिक मनमानेपन और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में चिंता पैदा करते हैं। लेखक राजनीतिक दान के बारे में पारदर्शिता की कमी के साथ गैर सरकारी संगठनों के सख्त विनियमन की तुलना करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जाति-विरोधी संघर्षों, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों पर काम करने वाले संगठनों को बढ़ते संस्थागत दबाव का सामना करना पड़ सकता है। लेख संशोधनों के पीछे के साक्ष्य और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और नागरिक समाज के लिए उनके प्रभावों पर सवाल उठाता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://ddinsights.in/2026/10/fcra-amendment-bill-2026-is-the-the-social-sector-a-software-target-for-right-based-work/

नियमगिरीः वेदांता का नवीनीकृत खनन और आदिवासी समुदायों के अधिकार

लेख में 2013 में 12 ग्राम सभाओं द्वारा परियोजना की ऐतिहासिक अस्वीकृति के बावजूद, ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ियों में वेदांत की बॉक्साइट खनन परियोजना को पुनर्जीवित करने के नए प्रयासों की जांच की गई है। यह कॉर्पोरेट खनन हितों और अपनी पैतृक भूमि, जंगलों और पवित्र परिदृश्य पर डोंगरिया कोंध समुदाय के अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। खनन पर नए सिरे से जोर देने से वन अधिकार अधिनियम, 2006, सामुदायिक स्वशासन और आदिवासियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। नियामगिरी प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण पर एक बड़े संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जहां कॉर्पोरेट हित और औद्योगिक विकास स्वदेशी आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक स्थिरता के लिए खतरा हैं।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें:
https://frontline.thehindu.com/enEnvironment/niyamgiri-mining-vedanta-tribal-rights/article71587372.ece

ओडिया खदान प्रबंधन विद्यालय को क्या सिखाती है?

डॉ. विक्रम केशरी जेना पारंपरिक प्रबंधन शिक्षा की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए समरेन्द्र दास के डॉक्टरेट अनुसंधान, फॉलोइंग द आयरन ओर ट्रेल्स ऑफ इंडिया फॉर ए ग्लोबल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिव कैपिटल की जांच करते हैं। लेख में तर्क दिया गया है कि बिजनेस स्कूल अक्सर संसाधन निष्कर्षण की ऐतिहासिक, पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों को नजरअंदाज करते हुए बाजारों, निवेश, दक्षता और कॉर्पोरेट लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे खनन स्थानीय परिदृश्यों और आदिवासी समुदायों को वैश्विक पूंजी से जोड़ता है, जिससे विस्थापन, पर्यावरणीय विनाश, स्वामित्व और धन के असमान वितरण के बारे में सवाल उठते हैं। लेखक ने अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति और पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने वाले एक अंतःविषय दृष्टिकोण का आह्वान किया है। यह सामुदायिक अनुभवों को केवल शोध विषयों के रूप में मानने के बजाय उन पर आधारित ज्ञान का उत्पादन करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://theeasterntimes.com/opinion/odia-mine-manage-school-iron-ore

क्या आप इन परिवारों के साथ खड़े रहेंगे?

Jhatkaa.org का अभियान एक विकास परियोजना के कारण विस्थापन का सामना कर रहे परिवारों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है जो उनकी पैतृक भूमि और घरों को जलमग्न करने का खतरा है। इन परिवारों ने पीढ़ियों से अपनी भूमि पर खेती की है, लेकिन अब उन्हें अपने घरों, आजीविका और सामुदायिक संबंधों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह अभियान उनके कानूनी अधिकार के बावजूद, पर्याप्त मुआवजे के बिना उनके विस्थापन के बारे में चिंता पैदा करता है। यह नागरिकों से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े होने और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करने का आह्वान करता है। एक सार्वजनिक याचिका और ईमेल अभियान के माध्यम से, झटका उचित मुआवजा सुनिश्चित करने, भूमि अधिकारों की रक्षा करने और विस्थापित समुदायों की गरिमा और आजीविका को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने और निर्णय लेने वालों पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। यह अभियान विकास की मानवीय लागतों और न्याय-केंद्रित पुनर्वास की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://sign.jhatkaa.org/campaign/will-you-stand-with-these-families

ओडिशाः डॉ. रांदल सिक्वेरा और लक्ष्मण नायक गिरफ्तार; दमन जारी

लेख में 16 अक्टूबर 2026 की रात को ओडिशा के भवानीपटना में एक डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉ. रान्डेल सिक्वेरा और मां माटी माली सुरक्षा मंच और समाजवादी जन परिषद से जुड़े एक

दलित कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक की गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। दोनों ने दक्षिणी ओडिशा में खनन, औद्योगीकरण और विस्थापन का विरोध करने वाले आदिवासी और दलित आंदोलनों का समर्थन किया है। संबंधित नागरिक समिति द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट या पूर्व सूचना के बिना की गई थी, और दोनों को उनके वकीलों या परिवारों तक पहुंच के बिना पुलिस हिरासत में रखा गया था। बाद में उन पर कांतमल में अप्रैल 2026 की पुलिस कार्रवाई के संबंध में आरोप लगाया गया था, हालांकि संबंधित प्राथमिकी में दोनों में से किसी का नाम नहीं था। बयान में आरोप लगाया गया है कि कार्यकर्ताओं को डराने और कॉर्पोरेट खनन हितों के प्रतिरोध को दबाने के लिए गंभीर आपराधिक आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह प्रभावित समुदायों के साथ एकजुटता और उनके खिलाफ मामलों को वापस लेने का आह्वान करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://junputh.com/voices/repression-continues-in-south-odisha-with-arrests-of-randall-sequeira-and-laxman-naik/

चूंकि ओडिशा के आदिवासी गिरफ्तारी और जबरदस्ती के बावजूद खनन का विरोध करते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए

लेख में गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई और दंडात्मक उपायों के बावजूद खनन परियोजनाओं के खिलाफ ओडिशा में आदिवासी समुदायों के निरंतर प्रतिरोध पर प्रकाश डाला गया है। यह कॉर्पोरेट शोषण से अपनी पैतृक भूमि, वनों, पहाड़ियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले लोगों के संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। प्रतिरोध केवल खनन का विरोध नहीं है, बल्कि उनकी आजीविका, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक अधिकारों और प्रकृति के साथ संबंधों की रक्षा करने की मांग है। लेख में लोकतांत्रिक असहमति को दबाने और विकास के नाम पर थोपी गई परियोजनाओं का विरोध करने वालों को डराने के लिए राज्य तंत्र के उपयोग पर सवाल उठाया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि आदिवासी आवाजों और निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अपने क्षेत्रों के भविष्य को निर्धारित करने के उनके अधिकार का। यह प्रभावित समुदायों के प्रतिरोध को आर्थिक प्रगति में बाधा मानने के बजाय उनकी बात सुनने का आह्वान करता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://thewire.in/enEnvironment/odishas-adivasis-resist-mineing-despit-arrests-and-coercion

सेंट जॉन्स अकादमी ने गिरफ्तार डॉक्टर और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता का समर्थन किया

सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बेंगलुरु ने खनन परियोजनाओं के विरोध के बीच ओडिशा में गिरफ्तारी के बाद अपने पूर्व छात्र डॉ. रान्डेल सिक्वेरा के साथ एकजुटता व्यक्त की है। संस्थान ने वंचित आदिवासी समुदायों के बीच स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान को मान्यता दी, विशेष रूप से कालाहांडी और पड़ोसी जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मण

नायक के साथ उनकी गिरफ्तारी ने भूमि, वनों और संवैधानिक अधिकारों के लिए आदिवासी संघर्षों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाए जाने के बारे में नागरिक समाज समूहों के बीच चिंता पैदा कर दी है। अकादमी का समर्थन मानवीय पेशेवरों के साथ खड़े होने और लोकतांत्रिक भागीदारी और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://indiancatholicnews.com/2026/10/20/St-johns-academy-backs-Arrested-doctor-and-tribal-rights-activeist/

केंद्र व्यापक नए खनन कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम में बदलाव की योजना बना रहा है

केंद्र खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में व्यापक बदलाव पर विचार कर रहा है, ताकि व्यापार करने में आसानी, तकनीकी परिवर्तनों और भारत की खनिज आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया खनन कानून बनाया जा सके। खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति मौजूदा कानून की समीक्षा करेगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की जांच करेगी और संरचनात्मक और ठोस सुधारों का प्रस्ताव रखेगी। समिति राज्य सरकारों सहित हितधारकों से भी सुझाव मांगेगी। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, प्रवर्तन और दक्षता में सुधार करना और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करना है।

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://www.business-standard.com/industry/auto/centre-plans-mmdr-act-overhaul-to-draft-comphacient-new-mining-law-126101800210_1.html

ओडिशा का मालिक कौन है

चर्चा ओडिशा में प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर संघर्ष की जांच करती है, विशेष रूप से गंधमर्दन, नियामगिरी और सिजिमाली जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों में। सामाजिक कार्यकर्ता लिंगराज ने खनन परियोजनाओं के खिलाफ आदिवासियों, दलितों और किसानों के ऐतिहासिक प्रतिरोध पर प्रकाश डाला, यह याद करते हुए कि कैसे लोगों के आंदोलनों ने पिछली परियोजनाओं को वापस लेने के लिए मजबूर किया। वे प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों और ग्राम सभा प्राधिकरण की रक्षा करने में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के महत्व पर जोर देते हैं। चर्चा में खनिजों तक कॉरपोरेट पहुंच को सुविधाजनक बनाते हुए इन अधिकारों और राज्य शक्तियों को कम करने के लिए एमएमडीआर संशोधनों की आलोचना की गई। दमन के बावजूद, आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों और क्षेत्रों की रक्षा करना जारी रखते हैं।

अधिक देखने के लिए यहाँ क्लिक करें: https://www.youtube.com/watch?v=BBkeTdfd3UM

जस्टिस इन माइनिंग नेटवर्क आपकी एकजुटता और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें justiceinminingnetwork@gmail.com पर लिखें

संकलनकर्ता - बुधन एस. सिंकु
सम्पादक - पी एम टोनी